राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या संख्या 1537/2008/जयपुर

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन, वृत द्वितीय,राज., जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दीपक इन्जीरियरिंग कम्पनी
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री एन. के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अपलार्थी की ओर से

श्री दिनेश कुमार
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 28.5.2015

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 71/आरएसटी/जी/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.06.2001 को किया गया। सर्वेक्षण पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने रू. 46,75,566/–की बिक्री कर मुक्त प्रदर्शित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच पर पाया कि लाईनर, पिस्टन,पम्प बॉडी,रिंग्स,वाल्बस,फिल्टर कैफ,शाफ्ट,ब्रैकेटस, इंजन ऑयल,डीजल इन्जन पाईप, सरक्यूलेटिंग लाई पम्पस,गीयर पिस्टन,लाइनरलिस्टर आदि माल राज्य के बाहर से 'सी' फार्म पर खरीद किया है तथा इसे राज्य के अन्तर कर मुक्त विक्रय किया है, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.03.3001 के अन्तर्गत प्रविष्टि संख्या 108 से यह 8 प्रतिशत से कर योग्य है। इसलिए कर निर्धारण अधिरी रू. 46,75,566/– पर 8 प्रतिशत की दर से कर रू.3,74,046/– व सरचार्ज रू. 56,106.00 आरोपित किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तुओ की बिक्री कर मुक्त दर्शायी जा रही थी इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन मानते हुए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 8,06,436/–आरोपित की तथा देय कर जमा नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत रू. 2,06,436/–एवं धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 8,60,304/– तथा रू. 1,86,966/–पर आरोपित कर रू. 14,960/– सरचार्ज रू. 2,250/– व अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 34,420/–का आरोपण कर आदेश दिनांक 27.03.2004 व आदेश दिनांक 03.02.2007 पारित किये। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी

ने आदेश दिनांक 03.02.2007 को संशोधन आदेश पारित करते हुए आदेश 27.03.2004 के अन्तर्गत सृजित की गई मांग रू. 14,96,892/– को समाप्त कर दिया। किन्तु सर्वेक्षण के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 08.11.2001 को पारित किये गये अस्थाई कर निर्धारण आदेश के अन्तर्गत रू. 1,86,966/–की राज्य के बाहर से की गई खरीद का लेखा पुस्तकों में जमा खर्च किये जाने का सत्यापन नहीं कराये जाने के कारण उक्त खरीद को उचन्त मानते हुए उक्त खरीद के आधार पर प्रत्यर्थीकी उक्त राशि की उचन्ति बिक्री मानते हुए कर रू. 14,960/–सरचार्ज रू. 2,250/– व धारा 65 के अन्तग्रत शास्ति रू. 34,420/– का आरोपण अधिनियम की धरा 37 के अन्तर्गत पारित आदेश के अन्तर्गत पुर्नस्थापित कर दिया क्योंकि अस्थाई कर निर्धारण आदेश को अधिनियम की धारा 29 के तहत पारित आदेश के अन्तर्गत समाहित नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मुख्यतः उक्त आरोपित को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा खरीद रू. 1,86,966/– की खरीद लेखा पुस्तकों इन्द्राज होने के आधार पर उक्त रू. की खरीद डीजल इंजन के पाट्स से सम्बन्धित होने के आधार पर कर मुक्त वस्तुओं की श्रेणी में स्वीकार की जाकर रू.1,86,966/–की उचिन्त बिक्री नहीं मानकर उस पर आरोपित किये गये कर रू. 14,960/–सरचार्ज रू. 2,250/– व धारा 65 के अन्तग्रत शास्ति रू. 34,420/–को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है,जिसको कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस अपील के माध्यम से कर बोर्ड में विवादित किया गय है।

बहस के दौरान विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से की खरीद रू. 1,86,966/–का सत्यापन कराने में असफल रहा है,इसलिए कर निर्धारण अधिकारा द्वारा कर, सारचार्ज और करापवंचन प्रमाणित होने के कारण अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत विधिक रूप से शास्ति का आरोपण किया,जिसको विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने राज्य के बाहर से की गई रू. 1,86,966/– की खरीद ि लेखा पुस्तकोंमें इन्द्राज होने के आधार पर उक्त खरीद को डीजल इंजन के पाट्स से सम्बन्धित होने के आधार पर कर मुक्त वस्तुओं की श्रेणी में स्वीकार की जाकर रू.1,86,966/–की उचिन्त बिक्री नहीं मानकर उस पर आरोपित किये गये कर रू. 14,960/–सरचार्ज रू. 2,250/– व धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 34,420/–को अपास्त करना प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश विधि, तथ्यों एवं उपलब्ध रेकार्ड के विरूद्ध है। उनका कथन है कि संशोधन आदेश पारित करते समय भी उक्त खरीद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजीय प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उनका कथन है कि यदि अपीलीय अधिकारी प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट थे कि विवादित संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज है, तो उन्हें प्रकरण में अग्रिम जांच के प्रतिप्रेषित करना चाहिए था किन्तु उन्होंने प्रकरण प्रतिप्रेषित नही करके प्रकरण का

अपने स्तर पर निस्तारण कर राज्य को राजस्व हानि पहुँचाई है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाने योग्य है। उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,सरचार्ज एवं शास्ति को बहाल कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण दिनांक 21.06.2001 के आधार पर आदेश दिनांक 27.03.2004 के अन्तर्गत कार्यम की गई मांग, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत पारित संशोधन आदेश दिनांक 03.02.2007 के द्वारा संशोधित की जाकर समाप्त कर दी गयी है, किन्तु उक्त आदेश के अन्तर्गत रू. 1,86,966/– की बिक्री उचिन्त मानी जाकर उस पर कर,सरचार्ज एवं धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया गया है। उनका कथन है कि उक्त बिक्री भी डीजल इंजिन पार्ट से सम्बन्धित है व समस्त खरीद बिक्री का इन्द्राज प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज किया हुआ है तथा उक्त बिक्री भी कर मुक्त होने के कारण उस पर कर देय नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है। उन्होंने उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने के साथ ही अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश पर दृष्टिपात किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2004 के अन्तर्गत रू. 46,75,566/–की बिक्री पर आरोपित कर 3,74,046/–, सरचार्ज रू.56,106/–एवं धारा 65 एवं 58 के अन्तर्गत क्रमशः आरोपित शास्ति रू. 8,60,304/– उपं 2,06,436/–कुल रू. 14,96,892/–की मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 03.02.2007 को संशोधन आदेश पारित कर आदेश दिनांक 27.03.2004 को सृजित की गई मांग राशि रू.14,96,892/–को अपास्त कर दिया। उक्त बिन्दु पर अपील निष्प्रभावी होने से अपीलीा अधिकारी द्वारा अपील खारिज की गई,जिसमें किसी हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

जहां तक रू. 1,86,966/– की राज्य के बाहर से की गई खरीद का लेखा पुस्तकों में जमा खच किये जाने का सत्यापन नही कराये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने उचिन्त बिक्री मानते हुए कर रू. 14,960/–,सरचार्ज रू. 2,250/– व धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 34,420/– के आरोपण का प्रश्न है। अपील बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि उक्त बिक्री कर मुक्त होने के कारण उस कोई कर देय नहीं है। उक्त बिन्दु के

सम्बन्ध में रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त बिक्री से सम्बन्धित सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी को अस्थाई कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने से पूर्व करा दिया गया था तथा उक्त खरीद बिक्री से सम्बन्धित विवरण व लेखा पुस्तकों में किये गये इन्द्राज की प्रतियॉ मय शपथ पत्र अपील स्तर पर प्रस्तुत की गई हैं,जिनके आधार पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विचार करने के पश्चात उन्होंने रू. 1,86,966/–की खरीद डीजल इंजन पार्ट्स से सम्बन्धित होने के कारण कर मुक्त वस्तुओं की श्रेणी में मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रू. 1,86,966/–की बिक्री को उचिन्त बिक्री मानकर आरोपित कर,सरचार्ज एवं शास्ति को अपास्त किया है,जो प्रकरण के तथ्यों एवं रेकार्ड के अनुसार उचित प्रतीत होती है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेवित तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य